न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या-08/2021
अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3
सरकार
बनाम
भेल्टो उर्फ दीपक यादव, पे0-हारूणी यादव, सा0-इन्द्रानगर, वार्ड नं0-09, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
12.11.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 83/डी0सी0बी0, दिनांक 31.03.2021) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,फारबिसगंज के प्रस्ताव (पत्रांक 1078/अनु0, दिनांक 25.03.2021) के आधार पर भेल्टो उर्फ दीपक यादव, पे0-हारूणी यादव, सा0-इन्द्रानगर, वार्ड नं0-09, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई। भेल्टो उर्फ दीपक यादव का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :- 1. जोगबनी थाना कांड सं0-37/18, दिनांक-16.02.18, धारा-147/447/448/341/323/379/354बी/504/506 भा0द0वि0 एवं 3(1) आर0 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट। आरोप पत्र सं0-80/18, दिनांक-30.06.18 2. जोगबनी थाना कांड-159/19, दिनांक-26.05.19, धारा-341/323/324/307/379/34 भा0द0वि0। आरोप पत्र सं0-65/19, दिनांक-12.07.19 3. जोगबनी (बथनाहा) थाना कांड सं0-175/19, दिनांक-20.06.19, धारा-399/402/414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)/26/35 आर्म्स एक्ट अररिया जिला में बिहार पंचायत चुनाव, 2021 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी भेल्टो उर्फ दीपक यादव, पे0-हारूणी यादव, सा0-इन्द्रानगर, वार्ड नं0-09, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है। उक्त के आलोक में आरोपी/अपराधकर्मी भेल्टो उर्फ दीपक यादव को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, जोगबनी के पत्रांक 1627/21, दिनांक-27.10.2021 के द्वारा सूचना का तामिला प्रति प्राप्त है। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, जोगबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भेल्टो यादव उर्फ दीपक यादव, पे0-हारूणी यादव, सा0-इन्द्रानगर, वार्ड सं0-09, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया, मंडल कारा, अररिया में है। विपक्षी की अनुपस्थिति में न्यायालय में उपस्थित विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया श्री लक्ष्मी नारायण यादव को सुना। विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया का मुख्य कथन है कि विपक्षी के विरूद्ध दर्ज कांडो की प्रकृति गंभीर है। विपक्षी द्वारा जोगबनी थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया गया है। विपक्षी द्वारा आगामी बिहार पंचायत चुनाव, 2021 में स्थानीय स्तर पर धांधली एवं विधि व्यवस्था उत्पन्न करने तथा विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में हुड़दंग मचाने की पूर्ण संभावना है। पुलिस अधीक्षक, अररिया	

12.11.2021 से विपक्षी के विरूद्ध प्राप्त प्रस्ताव सही है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत जिला बदर करने का आदेश पारित किया जाय।

विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशांत कुमार सी0एच0, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि प्रस्तावित व्यक्ति-भेल्टो उर्फ दीपक यादव के विरूद्ध अपराधिक इतिहास के रूप में तीन कांड-1. जोगबनी थाना कांड सं0-37/18, दिनांक-16.02.18, धारा-147/447/448/341/323/379/354बी/504/506 भा0द0वि0 एवं 3(1) आर0 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट। आरोप पत्र सं0-80/18, दिनांक-30.06.18, 2. जोगबनी थाना कांड-159/19, दिनांक-26.05.19, धारा-341/323/324/307/379/34 भा0द0वि0। आरोप पत्र सं0- 65/19, दिनांक-12.07.19, एवं 3. जोगबनी (बथनाहा) थाना कांड सं0-175/19, दिनांक-20.06.19, धारा-399/402/414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)/26/35 आर्म्स एक्ट) दर्ज है। विपक्षी भेल्टो उर्फ दीपक यादव, अररिया कारा में काराधीन है। ऐसी परिस्थिति में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-2(घ) एवं 3 के तहत भेल्टो उर्फ दीपक यादव के विरूद्ध तत्काल निरूद्धादेश जारी करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार इस वाद की कार्यवाही इस निदेश के साथ बंद की जाती है कि यदि विपक्षी भेल्टो उर्फ दीपक यादव जमानत पर अररिया कारा से कारामुक्त होता है तो उस पर थानाध्यक्ष, जोगबनी सतत् कड़ी निगरानी रखेंगे।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2539 / विधि, दिनांक 13.11.2021

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, जोगबनी थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया